



प्रेस नोट - दिनांक 04.11.2024

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव

वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 04.11.2024 को व0उ0नि0 मानिकराम वर्मा मय हमराह फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्त बबलू पुत्र जगदीश उम्र करीब 45 वर्ष नि0ग्राम बारा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव संबन्धित गैर जमानती वारण्ट मु0नं0 3805/2024 धारा 498ए/304/120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम नागेश थाना बारासगवर, उन्नाव तारीख पेशी 07.11.2024 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बबलू पुत्र जगदीश उम्र करीब 45 वर्ष नि0ग्राम बारा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. वरि0उ0नि0 मानिकराम वर्मा ।
2. का0 फिरदौस अख्तर





प्रेस नोट - दिनांक 04.11.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 04.11.2024 को उ0नि0 वीरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह फोर्स (सादे वस्त्रों में) द्वारा थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 345/24 धारा 333/70(2) BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2) V SC/ST Act से संबन्धित बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है तथा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुलिस संरक्षण में लेने वाली टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र विक्रम सिंह
2. का0 जितेन्द्र कुमार ,
3. का0 संदीप कुमार